E Learning Study Material

By Prof YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE ARA
VKS UNIVERSITY ARA BIHAR

BA PART TWO ECONOMICS HONS
PAPER THIRD

Changes in the MRTP Act -

The Industrial Policy 1991

has put some industries on par with others by abolishing those provisions of the MRTP Act which mediate mandatory for the large industrial Houses to seek prior clearance from MRTP COMMISSION for their new projects.

Under the ~~Amendament~~ amended Act the MRTP Commission will concern itself only with the control of Monopolies and Restrictive Trade Practices that are unfair and restrict competition to the detriment of consumer's interests. No prior approval of or clearance from the MRTP Commission is now required for setting up industrial units by the large business houses.

5. लघु उद्योगों को अधिक सहायता :-
नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक सहायता देने का प्रावधान किया गया ताकि वे अधिक कुशलता और तकनीकी विकास के वातावरण तेजी से विकसित हो सके। इस सन्दर्भ में घोषित सुधारों का एक पैकेज एक एजेन्सी की स्थापना के लिए प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके ताकि इन उद्योगों की समय की जरूरतें पूरी तरह पूरी हो। यह छोटे उद्योगों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इक्विटी भागीदारी की अनुमति देता है जो उनकी कुल हिस्सेदारी का 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह छोटे पैमाने के क्षेत्र की पूँजी बाजार तक पहुँचाने और उनके विकास तथा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार छोटे पैमाने के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा आवश्यक हिस्से और घटकों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगी।

6. अन्य प्रावधान :- उपरोंकित प्रावधानों के अलावा औद्योगिक नीति 1991 ने तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए

कुछ और उपायों की घोषणा की। इनके अनुसार सरकार भारत में उद्योगों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौता करने के लिए एक विशेष बोर्ड (जिसे विदेशी निवेश सम्वर्धन बोर्ड - FIBP) के रूप में स्थापित किया गया था।

जो तकनीकी परिवर्तन के कारण बेरोजगार हो गये हैं ऐसे सेवानिवृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक फंड की स्थापना (राष्ट्रीय नवीकरण निधि) की घोषणा की गयी

नई नीति ने अनिवार्य परिवर्तनीयता खंड को भी हटा दिया जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान को उनके द्वारा दिये गये ऋणों को इक्विटी में निजी उद्योगों में बदलने को कहा गया और इस प्रकार वे अपने प्रबन्धन में भागीदार बन गये।

इससे निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक बड़ा खतरा हटा दिया क्योंकि वे हमेशा इस खतरे में थे कि उनका प्रबन्धन और नियंत्रण सरकार के निजी संस्थानों के हाथों में चला जाए।